# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)

**पीठासीन अधिकारी श्री पवन कुमार आर.ए.एस.**
**(न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प कोर्ट सकट)**

वाद संख्या :– 02 / 70 / 2017

चिरंजीलाल बनाम जगनलाल वगैरा
प्रार्थना पत्र 212 आर.टी. एक्ट

दिनांक 14.06.2018

आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय स्वप्रेरणा से कैम्प कोर्ट सकट पर पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में दिनांक 20.06.2017 को आराजी विवादित हाल खसरा नम्बर 509 / 0.15, 510 / 0.08, 513 / 0.09, 523 / 2307 / 0.15, 535 / 0.21, 537 / 0.28 है. वाके ग्राम राजपुरबडा तहसील राजगढ में एकतरफा बहस वकील वादी सुनी जाकर अप्रार्थीगण के विरूद्ध दिनांक 14.08.2017 तक इस आशय की अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई थी कि वो विवादित आराजी में प्रार्थी के हिस्से तक कब्जेकाश्त में मजाहमत न करें व बेदखल नहीं करें तथा अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब करने के आदेश दिए गये। अप्रार्थीगण बाद सूचना नोटिस उपस्थित न्यायालय नहीं आये। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में आराजी विवादित मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2070–73 खाता संख्या 167 के इन्द्राज के अनुसार सहखातेदारी की आराजी है। प्रार्थी अपने हिस्से तक अप्रार्थीगण को उसके कार्यकाश्त में रूकावट मजाहमत नहीं करने हेतु अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का प्रथम दृष्टया अधिकारी होना साबित है। प्रकरण में अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा वर्ष 2017 से प्रचलन में है जिसका कि अभी निस्तारण नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य पाया जाता है। अतः

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

आदेश है कि

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट आराजी विवादित हाल खसरा नम्बर 509 / 0.15, 510 / 0.08, 513 / 0.09, 523 / 2307 / 0.15, 535 / 0.21, 537 / 0.28 है. वाके ग्राम राजपुरबडा तहसील राजगढ स्वीकार किया जाता है तथा इस न्यायालय के पूर्व आदेश दिनांक 20.06.2017 का प्रचलन दावे के निर्णय तक स्थाई किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 14.06.2018 कैम्प कोर्ट सकट पर सुनाया गया।

पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति मूलवाद के संलग्न हो।

(पवन कुमार, आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)
(कैम्प कोर्ट सकट)